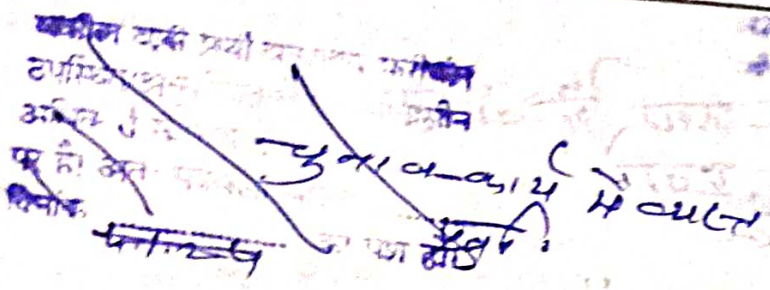

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
~~16-11-23~~	[illegible] हाजिर [illegible] [illegible] अर्दली [illegible] फ. नं. [illegible] विपक्ष [illegible] मुलाहजा [illegible] में [illegible] हुई।
11.07.24	आज यह पत्रावली पेश हुई। [illegible] पक्षकारान उपरोक्त अपील [illegible] ख़ारिज की जाती है। विधिक प्रक्रिया के [illegible] [illegible] [illegible] है पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] बाद तकमील [illegible] दाखिल दफ्तर हो। नितिन यादव उप[illegible] अधिकारी [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— सचिन यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या: 01/22 दायर दिनांक: 22.11.2022

जीसीएमएस नं. 2022/334

सूकी पुत्री बुद्धि पत्नि मिश्रीलाल जाति प्रजापत नि. सलैमपुर कलाँ, तह. भुसावर हाल नि. काँचरौली तह. हिण्डौन जिला करौली राज.

—अपीलाण्ट

बनाम

1.बाबू पुत्र राधाकिशन जाति प्रजापत नि. सलैमपुर कलाँ, तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.
2.ग्रा.पं. सलैमपुर कलाँ पं.स. भुसावर जरिये सरपंच ग्रा. पं. सलैमपुर कलाँ, तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

—रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 विरूद्ध
नामा. सं. 1250 दिनांक 30.08.1987
ग्रा.पं. सलैमपुर कलाँ पं.स. भुसावर
अधिवक्ता— 1.श्री चन्द्रशेखर तिवारी —अपीलाण्ट
2.श्री इन्द्रदत्त पाण्डेय —रेस्पो.—1

निर्णय दिनांक 11.07.2024

अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अपील अन्तर्गत धारा 75 विरूद्ध नामा. सं. 1250 दिनांक 30.08.1987 ग्रा.पं. सलैमपुर कलाँ, पं.स. भुसावर पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 655 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा व 612 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम सलैमपुर कलाँ तह. भुसावर जिला भरतपुर में स्थित है। जिसके नवीन ख.नं. 881 रकबा 0.25, 882 रकबा 0.25, 788 रकबा 0.22, 789 रकबा 0.70 हैक्टे. है। उक्त आराजी में अपीलाण्ट का पिता बुद्धि 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। अपीलान्ट बुद्धि की एक मात्र अकेली वारिस है तथा अपीलान्ट की माँ बुद्धो की मृत्यु पूर्व में ही हो चुकी है।

अपील अपीलान्ट निम्न आधारों पर समयावधि में प्रस्तुत है—

(अ) सरपंच ग्रा.पं. सलैमपुर कलाँ का नामान्तरकरण संख्या 1250 गैर नियम तथा कानून के खिलाफ है। नकल नामान्तरकरण अपील के साथ प्रस्तुत है।

(ब) नामान्तरकरण संख्या 1250 में हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण रजिस्टर में कॉलम नंबर 07 में बुद्धि का नाम अंकित करते हुए उसके स्थान पर अपीलान्ट की माँ का नाम कॉलम संख्या 09 में पिता के स्थान पर नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु स्वीकृति हेतु ग्रा.पं. सलैमपुर कलाँ को फैसल करवाने हेतु प्रस्तुत किया। लेकिन सरपंच ग्रा.पं. सलैमपुर कलाँ द्वारा अवैधानिक प्रक्रिया अपनाते हुए अपीलान्ट की माँ बुद्धो के स्थान पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 बाबू के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने के गैरनियम आदेश पारित किये है। जो अवैधानिक होने की वजह से निरस्तनीय है।

(स) अपीलान्ट बुद्धी की एक मात्र वारिस है। अपीलान्ट के पिता बुद्धी द्वारा अपने जीवनकाल में कभी किसी भी व्यक्ति को गोद नहीं लिया है। ऐसे में गोदनामा के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 बाबू के नाम ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश नामान्तरकरण गैर कानूनी होने की वजह से निरस्तनीय है।

(द) नकल जमाबन्दी संवत 2075—2078 में अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ पेश की जा रही है। जिसमें बाबू दत्तक पुत्र बुद्धी तथा बाबू पुत्र राधाकिशन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिससे यह बिल्कुल साबित होता है

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

कि अपीलान्ट की जमीन को हडपने के आशय से ग्राम पंचायत सरपंच से मिलकर अवैधानिक प्रक्रिया से उक्त पारित आदेश नामान्तरकरण अपने पक्ष में दर्ज करवा लिया है। जो गैर कानूनी एवं विधि विरूद्ध होने की वजह से निरस्तनीय है।

अतः अपीलान्ट द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया गया है कि अपील किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 1250 दिनांक 30.08.1987 ग्रा.पं. सलैमपुर कलाँ निरस्त फरमाया जावें।

हमने अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से कराई गई। नोटिस की ताईद में रेस्पो. संख्या 1 की ओर से श्री इन्द्रदत्त पाण्डेय एड. द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा रेस्पो. बाबू की ओर से प्रार्थना पत्र आपत्ति धारा 151 जा.दी. पेश किया गया तथा रेस्पो. संख्या 02 बाद तामील उपस्थित नहीं आये। अतः उसके विरूद्ध कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लायी गई।

वकील द्वारा अपने पक्ष में नजीर माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर वाके उनवानी राज. सरकार बनाम जीवन निर्णय दिनांक 13.02.1997 की छायाप्रतियां पेश की गई तथा रेस्पो. अधिवक्ता द्वारा भी RRD 14.03.2013 Limitation Act. Section-5 बाबत नजीरें पेश की गई।

हमने उभयपक्षकारों द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया। उभयपक्ष द्वारा जो नजीरें पेश की गई। उनका अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर हम इस नतीजे पर पहुँचे है कि उपरोक्त नामान्तरकरण संख्या 1250 दिनांक 30.08.1987 को निर्णित किया गया है। जो करीब 36 वर्ष पूर्व निर्णित किया गया है तथा अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अपील देरीना से प्रस्तुत करने का क्या कारण रहा है।

अतः उपरोक्त अपील लिमिटेशन से वार्ड है।

अतः अपील अपीलान्ट लिमिटेशन के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सचिन यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)